

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017: समीक्षा और विश्लेषण

ऋषम मिश्र

सहायक प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वरधा

Abstract

शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के अध्येता के रूप में इस नीति का विश्लेषण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करती है। इस लेख रा.स्वा.नी.-2017 का निर्वचन करते हुए उन महत्वपूर्ण संबंधों को पहचाना गया है जो बच्चों और किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। यह नीति स्वास्थ्य की संकल्पना को वृहद् अर्थ में प्रस्तुत करती है। यह विस्तार रेखांकित करता है कि नीतिगत स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य राज्य की प्राथमिकता के क्षेत्र में हैं और राज्य अपने नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और युवाओं को विकास का खुशहाल परिवेश प्रदान करना चाहता है।

लोकनीतियां महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज होती हैं। इनके माध्यम से एक ओर राज्य के लक्ष्य, कार्ययोजना और परिप्रेक्ष्य के संबंध में जानकारी मिलती है तो दूसरी ओर लोकवस्तुओं जैसे-शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में प्राथमिकता के क्षेत्रों, उपागमों और वृहतर समाज पर प्रभाव आदि के संदेशों को भी समाहित किए रहती है। हाल में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 (रा.स्वा.नी.-2017) की उद्घोषणा हुई है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी स्वास्थ्य नीति है। इसके पूर्व वर्ष 1983 और 2002 में दो अन्य स्वास्थ्य नीतियां आ चुकी हैं। रा.स्वा.नी.-2017 की तैयारी करते हुए पूर्व की नीतियों की समुचित समीक्षा और विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में जनसंख्या स्थिरीकरण, बीमारियों के उपचार, रोकथाम और देखभाल के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया है। सेवाक्षेत्र के रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका में निजी क्षेत्र की भूमिका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों और सीमाओं की पहचान की गयी है। इस समीक्षा और विश्लेषण के आलोक में रा.स्वा.नी.-2017 का वर्तमान मसौदा

तैयार किया गया है। पूर्व की नीतियों की भांति इसमें दूरगामी लक्ष्य तय किए गए हैं जैसे-2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत हिस्से को स्वास्थ्य पर खर्च करना, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर कम से कम 67.5 की आयु तक करना, 2019 तक शिशु मृत्यु दर कम करके 16 प्रति हजार करना आदि।

शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के अध्येता के रूप में इस नीति का विश्लेषण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करती है। इस लेख रा.स्वा.नी.-2017 का निर्वचन करते हुए उन महत्वपूर्ण संबंधों को पहचाना गया है जो बच्चों और किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। प्रथमतः यह नीति स्वास्थ्य की संकल्पना को वृहद् अर्थ में प्रस्तुत करती है। इस नीति में 'बीमारी के इलाज', 'बीमारी से बचाव' के साथ मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के प्रोत्साहन को स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। स्वास्थ्य की परिभाषा का



यह विस्तार रेखांकित करता है कि नीतिगत स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य राज्य की प्राथमिकता के क्षेत्र में हैं और राज्य अपने नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और युवाओं को विकास का खुशहाल परिवेश प्रदान करना चाहता है। इसके साथ ही वे कर्मों और संस्थाएं भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लक्ष्य के लिए भागीदार बन जाते हैं जो प्रत्यक्षतः रोग की पहचान और इलाज से नहीं जुड़े हैं पर ऐसे परिवेश के निर्माण और पोषण के लिए उत्तरदायी हैं। इसी कारण स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने को भी स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि रा.स्वा.नी.-2017 मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए कोई परिभाषित मात्रात्मक लक्ष्य नहीं है लेकिन इस नीति में कार्यस्थल पर तनाव और दबाव, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में स्वास्थ्य सुविधाओं की भूमिका, यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं आदि के संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर चर्चा की गयी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उक्त पक्ष को सम्मिलित करना राज्य के दायित्व क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है। राज्य अपने इस दायित्व को केवल स्वास्थ्य से संबंधित एजेंसियों के माध्यम से संचालित नहीं करना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महिला और बाल विकास, शिक्षा और पर्यावरण जैसे अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करना चाहता है। आवासीय परिवेश की अनुकूलता को भी स्वास्थ्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। इसी ध्येय से स्वस्थ भारत अभियान, निर्भय नारी अभियान, यात्री सुरक्षा, मादक पदार्थों के सेवन का हतोत्साहित करने और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आदि सक्रिय गतिविधि के क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस नीति के निर्वचन से जान पड़ता है कि सरकार के लिए विशिष्ट लक्षित समूह महिलाएं, बच्चे और किशोर है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं

को मुहैया कराने के लिए प्रजनन और मातृत्व सेवाओं के साथ बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता के अन्तर्गत रखा गया है। महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में सर्वाधिक बल मातृत्व स्वास्थ्य को दिया गया है। बच्चों को बाल्यावस्था में पोषण और विकास की अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर जोर है। इसी कारण विद्यालयी पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य अंग के रूप में रखने का सुझाव भी उल्लिखित है। इसी तरह योग को स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा माना गया है इसके प्रोत्साहन पर पर्याप्त बल दिया गया है। किशोरावस्था में विशेष रूप से किशोरियों के लिए विकासात्मक चुनौतियों का संज्ञान, उनका मार्गदर्शन व परामर्श, बदलती जैविक आवश्यकताओं के साथ सामाजिक और सांवेगिक आवश्यकताओं के तालमेल के लिए यह नीति राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति.2014 के सुझावों को अपनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति समुदाय के साथ संबंध को विकसित करना और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में उनका सक्रिय सहयोग लेना भी इस नीति का विशिष्ट पक्ष है जो रोग के उपचार की परिभाषा से परे स्वस्थ शारीरिक और मानसिक जीवन के प्रोत्साहन को अपनाने का प्रमाण है। इसी प्रकार जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण की चर्चा में "सम्मान और सशक्तिकरण" जैसे शब्दों का प्रयोग कर परोक्ष रूप से महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

राणस्वाणी.2017 में जिन क्षेत्रों के साथ भागीदारी बल दिया गया है उनमें से विद्यालय सर्वप्रमुख है। विद्यालय की भूमिका को उभारते हुए राणस्वाणी. 2017 में विद्यालय को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रदाता के रूप में देखा गया है। इस भूमिका में प्रत्येक सुझाव और नीति के क्रियान्वयन में विद्यालय



से अपेक्षा को स्पष्ट किया गया है। चाहे वह पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होए मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे वातावरण और उपयुक्त सहयोग को प्रदान करना होए स्वस्थ परिवेश के लिए जागरूकता का प्रसार हो इन सभी क्षेत्रों में नीति का क्रियान्वयन में विद्यालय की प्रत्यक्ष भूमिका रखी गयी है। बच्चों और किशोरों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभावों मादक पदार्थों के सेवनए कुपोषण विकासात्मक समस्याओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने का जिम्मा भी विद्यालय को सौंपा गया है। विद्यालयी परिवेश अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का प्रेरक कैसे होघ इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की एजेंसियों को सम्मिलित पहल की भी योजना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य और शिक्षा की पारस्परिकता और पूरकता को इस नीति में स्थान देकर मानव विकास के दो आधारभूत आगतों को संतुलित करने का प्रयास सराहनीय है।

यद्यपि बजट के वितरणए दक्षिण एशिया के अन्य देशों के सापेक्ष शिशु मृत्यु दर का ऊँचा स्तरए निजी क्षेत्रों की भागीदारी में अस्पष्टता और स्वास्थ्य को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता न प्रदान करना जैसे कुछ पक्ष हैं जिसके आधार पर इस नीति की आलोचना की जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य के अर्थ को केवल चिकित्सा तक सीमित न रखने, स्वास्थ्य वर्धक परिवेश के विकास में पर्यावरणए शिक्षा और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रों से सहयोग लेनेए नगरीय गरीबों और वंचितों की आवश्यकताओं को संज्ञान में लेनेए वैयक्तिक व कार्यस्थल आदि के परिस्थितियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के आकलन और उपचार व स्वस्तिभाव ;वेलनेसद्ध के लिए समुदाय के सदस्यों द्वारा मनो.सामाजिक सहयोग प्रदान करने की पहल इस नीति के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें स्वस्थ समाज में रहने की सुखद परिस्थितियों के लिए आशान्वित करते हैं।

